## वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019

| प्रावधान | वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक (PDP Bill), 2019 की मुख्य विशेषताएं | संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा की गई सिफारिशें |
|---|---|---|
| **वैयक्तिक डाटा (ऐसा डाटा जो किसी व्यक्ति की पहचान कर सकता है)** | • यह **विभिन्न प्रकार के वैयक्तिक डाटा** के संबंध में चर्चा करता है, जैसे कि<br>○ **संवेदनशील वैयक्तिक डाटा** (वित्त, स्वास्थ्य, आधिकारिक पहचान-पत्र, यौन जीवन संबंधी, यौन अभिविन्यास, बायोमेट्रिक, आनुवंशिकी, ट्रांसजेंडर स्थिति, मध्यलैंगिक स्थिति, जाति या जनजाति, धार्मिक या राजनीतिक विश्वास या संबद्धता से संबंधित)।<br>○ **महत्वपूर्ण वैयक्तिक डाटा** (सैन्य या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित डाटा तथा सरकार इसे समय-समय पर परिभाषित कर सकती है)।<br>○ **सामान्य वैयक्तिक डाटा-** वे डाटा जो संवेदनशील और महत्वपूर्ण वैयक्तिक डाटा के श्रेणी में नहीं आते हैं। | • **अवैयक्तिक डाटा को भी कानून के दायरे में शामिल** किया जाना चाहिए। |
| **प्रयोज्यता (Applicability)** | • यह विधेयक **निम्न माध्यमों से वैयक्तिक डाटा के संसाधन को नियंत्रित करता है-**<br>○ सरकार<br>○ भारत में निगमित कंपनियां<br>○ भारत में व्यक्तियों के वैयक्तिक डाटा से संबंधित विदेशी कंपनियां। | |
| **डाटा संग्रहण करने वाली संस्थाओं के दायित्व (एक इकाई या व्यक्ति जो वैयक्तिक डाटा को एकत्र करता है तथा संसाधित करने के साधन और उद्देश्य को निर्धारित करता है)** | • वैयक्तिक डाटा को **केवल विशिष्ट, स्पष्ट और वैध उद्देश्य के लिए संसाधित किया जा सकता है।**<br>• सभी **डाटा संग्रह करने वाली संस्थाओं को कुछ पारदर्शिता और जवाबदेही के उपाय करने चाहिए** जैसे:<br>○ संरक्षण हेतु सुरक्षोपायों को लागू करना (जैसे डाटा एन्क्रिप्शन तथा डाटा के दुरुपयोग को रोकना)।<br>○ व्यक्तियों की शिकायतों के समाधान हेतु शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना। | • कंपनियों को **डाटा अतिक्रमण की रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर देनी होगी।**<br>• यदि डाटा प्रिंसिपल (व्यक्ति या संस्था जो डाटा का स्वामी होता है) से संबंधित जानकारी किसी और को दी जाती है तो इसका अनिवार्य रूप से प्रकटीकरण करना होगा।<br>• **वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को डाटा सुरक्षा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करना,** जिन्हें अंततः चूक या उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।<br>• **विशेष रूप से बच्चों के डाटा से संबंधित** कंपनियों को **अतिरिक्त अनुपालन** करने की आवश्यकता होगी। |
| **डाटा प्रिंसिपल (जिस व्यक्ति का डाटा एकत्र और संसाधित किया जा रहा है) के अधिकार** | • इनमें निम्न अधिकार शामिल है-<br>○ **डाटा संग्रह करने वाली संस्थाओं** से यह पुष्टि करने का अधिकार कि क्या उनके वैयक्तिक डाटा को संसाधित किया गया है।<br>○ डाटा संग्रह करने वाली संस्थाओं द्वारा अपने वैयक्तिक डाटा के **निरंतर प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने का अधिकार है,** यदि यह अब आवश्यक नहीं है या सहमति वापस ले ली गई है।<br>○ इसमें **भूलाए जाने का अधिकार भी शामिल है जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन** | • **उस धारा में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा जो किसी व्यक्ति की सहमति के बिना वैयक्तिक डाटा के प्रसंस्करण की अनुमति देता है।** यदि अन्य बातों के अलावा यह आवश्यक है, जैसे कि **सरकार से सेवाओं या लाभों के प्रावधान के लिए** या किसी भी कार्रवाई या गतिविधि के लिए सरकार से लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/परमिट जारी करने हेतु। |